भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

राज्यसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 729
25.07.2025 को उत्तर के लिए नियत

आंध्र प्रदेश में फेम के तहत ईवी चार्जिंग

729 **श्री मेदा रघुनाधा रेड्डी:**
क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फेम इंडिया योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में स्थापित कुल सार्वजनिक और निजी ईवी चार्जिंग स्टेशनों में तेज (≥ 15 किलोवाट) बनाम धीमे (≤ 7 किलोवाट) चार्जरों की हिस्सेदारी का ब्यौरा क्या है;
(ख) इस योजना में क्या कमियां है और नई पीएम-ई ड्राइव योजना में इस अंतराल को पाटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ग) क्या आंध्र प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों और प्रमुख राजमार्गों तक चार्जिंग कवरेज का विस्तार करने की कोई नई योजना है?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) फेम-II स्कीम के अंतर्गत, आंध्र प्रदेश राज्य में ≥ 60 किलोवॉट क्षमता वाले कुल 494 तीव्र ईवी चार्जिंग स्टेशन (ईवीसीएस) स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 01.07.2025 तक 95 ईवीसीएस चालू हो चुके हैं। फेम-II के अंतर्गत, आंध्र प्रदेश में < 60 किलोवॉट क्षमता वाला कोई चार्जर उपलब्ध नहीं है। फेम-II में धीमे चार्जर (≤7 किलोवॉट) समर्थित नहीं हैं। फेम-II स्कीम के अंतर्गत स्थापित सभी चार्जर सार्वजनिक चार्जर हैं, अर्थात् आम जनता के उपयोग के लिए सुलभ हैं और निजी ईवीसीएस फेम-II में शामिल नहीं हैं।

(ख) फेम-II स्कीम के अंतर्गत सार्वजनिक ईवी चार्जिंग अवसंरचना के विकास हेतु प्रारंभ में 1,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी, जिसमें से 912.50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जा चुके हैं। हालाँकि, इस अंतर को कम करने, ईवी पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने और ईवी के तीव्र अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए, सार्वजनिक ईवी चार्जिंग अवसंरचना के विस्तार और त्वरण हेतु पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत 2,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

(ग) पीएम ई-ड्राइव स्कीम एक अखिल भारतीय स्कीम है जिसका उद्देश्य आंध्र प्रदेश सहित पूरे देश में सार्वजनिक ईवी चार्जिंग बुनियादी ढाँचे की स्थापना में तेजी लाना है। इस स्कीम का क्रियान्वयन केंद्रीय मंत्रालयों/प्राधिकरणों, राज्य सरकारों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों (सीपीएसई) आदि की भागीदारी से किया जाएगा।